न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा ।

उपस्थितः– श्री संजीव सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम –सह विशेष न्यायाधीश,बिहारशरीफ, नालन्दा ।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 371/2026

राहुल कुमार एवं 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

सोहसराय थाना कांड सं0 20/2026

अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109(1), 127(2), 352 बी. एन. एस.।

10.03.2026

अभियुक्त **राहुल कुमार एवं प्लाट उर्फ प्रहलाद कुमार** ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री रौशन कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 24.01.2026 को सूचक का पुत्र मो0 दानिश एवं उनका दोस्त मो0 साहिद कोचिंग से पढ़कर जा रहा था तभी मनोज पान दुकान के पास वहां पर मोटरसाइकिल सवार राहुल कुमार एवं उनके दोस्त पलाट उनके बेटे को पैर पर मोटरसाइकिल सटा दिया। जिसपर विरोध करने पर राहुल एवं पलाट मिलकर 8 से 10 लड़के को बुला लिया तथा गाली–गलौज करते हुए उनदोनों को गली में ले जाकर मारपीट करने लगा। दोनों को काफी मारपीट किया जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से ईलाज के लिए सदर अस्पताल, बिहारशरीफ ले जाया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण को झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर इस वाद में फंसा दिया गया है । आवेदकगण के विरूद्ध उक्त धाराओं का अभियोग बनता प्रतीत नहीं होता है । सूचक के पुत्र एवं अन्य को किसी प्रकार का कोई जख्म कारित नहीं हुआ है । बी. एन. एस. की धारा 109(1) का अभियोग मुकदमे को गंभीर तथा अजमानतीय बनाने के उद्देश्य से जोड़ा गया है । उभय पक्षों के बीच आपस में सुलह हो गया है। संधि अनुमति आवेदन न्यायालय में दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदकगण को पुलिस द्वारा गिरफतार किये जाने की संभावना है । अतः इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के उक्त आवेदन का विरोध करते हैं तथा यह भी स्वीकार करते हैं कि उभयपक्षों के बीच संधि–समझौता हो गया है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण है। यह भी विदित होता है कि उभय पक्षों के बीच आपस में सुलह हो गया है। आवेदकगण द्वारा समझौता के आलोक में संयुक्त संधि आवेदन दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर मौजूद है। जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर है। संधि हो जाने से उभय पक्षों के बीच अच्छा संबंध स्थापित हो गया है । सूचक एवं जख्मी आज न्यायालय में उपस्थित हैं तथा संधि की बातों का समर्थन करते है तथा

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा ।

उपस्थितः– श्री संजीव सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम –सह विशेष न्यायाधीश,बिहारशरीफ, नालन्दा ।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 371/2026

राहुल कुमार एवं 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

सोहसराय थाना कांड सं0 20/2026

अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109(1), 127(2), 352 बी. एन. एस.।

लगातार

10.03.2026

आवेदकण के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं करते है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करते हुए आवेदकगण को आदेश पारित होने के एक माह के अंदर, विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने पर, संबंधित विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर, बी0एन0एस0एस0, 2023 की धारा 482 में उल्लेखित शर्तों के अधीन, आवेदकगण को 10,000/– रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र निष्पादित करने के उपरांत जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष–न्यायाधीश
बिहारशरीफ, नालन्दा ।